रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052025-262963
CG-DL-E-08052025-262963

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249] नई दिल्ली, बुधवार, मई 7, 2025/वैशाख 17, 1947
No. 249] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 7, 2025/VAISAKHA 17, 1947

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2025

सा.का.नि. 292(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 466 के साथ पठित धारा 418 की उपधारा (3) और धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2020 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2020 में, अनुसूची-I में, -

(i) आशुलिपिक ग्रेड-II/निजी सहायक से संबंधित क्रम संख्या 16 के लिए,-

(क) स्तंभ (1) के अधीन, “आशुलिपिक ग्रेड-II/वैयक्तिक सहायक” प्रविष्टियों के स्थान पर “आशुलिपिक ग्रेड-I/वैयक्तिक सहायक” प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

(ख) स्तम्भ (6) के अंतर्गत, टिप्पण-2 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थातः-

"टिप्पण-2: "आयु सीमा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए यथा विज्ञापित तारीख होगी।";

(ग) स्तंभ (7) के अधीन, "प्रतिलेखन - कंप्यूटर पर 50 शब्द प्रति मिनट" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "प्रतिलेखन: कंप्यूटर पर 40 मिनट" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(घ) स्तंभ (11) के अधीन, "प्रतिलेखन - कंप्यूटर पर 50 शब्द प्रति मिनट" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "प्रतिलेखन: कंप्यूटर पर 40 मिनट" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) आशुलिपिक ग्रेड-III के पद से संबंधित क्रम संख्या 18 के सामने,-

(क) स्तंभ (1) के अधीन, “आशुलिपिक ग्रेड-III” प्रविष्टियों के स्थान पर, “आशुलिपिक ग्रेड-II” प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

(ख) स्तम्भ (6) के अधीन, "18 और 25 वर्ष की आयु के बीच" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "18 और 27 वर्ष की आयु के बीच" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ग) स्तम्भ (6) के अधीन, "टिप्पण-1 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"टिप्पण 1: "केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों और अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।";

(घ) स्तंभ (6) के अधीन, टिप्पण 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-

"टिप्पण 2: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए यथा-विज्ञपित तारीख होगी।";

(ङ) स्तंभ (7) के अधीन, "प्रतिलेखन - कंप्यूटर पर 40 शब्द प्रति मिनट" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "प्रतिलेखन: कंप्यूटर पर 50 मिनट" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(iii) क्रम संख्या 22 पर दिए पद के सामने,-

(क) स्तंभ (6) के अंतर्गत, "18 और 25 वर्ष की आयु के बीच" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "18 और 27 वर्ष की आयु के बीच" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) स्तंभ (6) में, टिप्पण 1 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"टिप्पण-1: "केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों और अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।";

(ग) स्तम्भ (6) में, टिप्पण 2 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-

"टिप्पण-2: "आयु सीमा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा-विज्ञापित तारीख होगी।"

[फा. सं. ए-12018/02/2017-प्रशा.IV-एमसीए]

अनीता शाह् आकेल्ला, संयुक्त सचिव

टिप्पण.- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भागा-II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 41 (अ), तारीख 21 जनवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2025

G.S.R. 292(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 418 and section 469 read with section 466 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Company Law Tribunal (Recruitment, Salary and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2020, namely :-

1. (1) These rules may be called the National Company Law Tribunal (Recruitment, Salary and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Company Law Tribunal (Recruitment, Salary and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2020, in Schedule-I, -

(i) against serial number 16 relating to the post of Stenographer Grade-II / Personal Assistant, -

(a) under column (1), for the entries "Stenographer Grade-II/Personal Assistant", the entries "Stenographer Grade-I/Personal Assistant" shall be substituted.

(b) under column (6), for Note 2, the following shall be substituted, namely :-

" Note 2 : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.";

(c) under column (7), for the words, figures and letters "Transcription : 50 w.p.m. on computer", the words and figures "Transcription : 40 minutes on computer" shall be substituted;

(d) under column (11), for the words, figures and letters "Transcription 50 WPM on computer", the words and figures "Transcription 40 minutes on computer" shall be substituted;

(ii) against serial number 18 relating to the post of Stenographer Grade-III, -

(a) under column (1), for the entries "Stenographer Grade-III", the entries "Stenographer Grade-II" shall be substituted.

(b) under column (6), for the words and figures "Between 18 and 25 years of age", the words and figures "Between 18 and 27 years of age" shall be substituted;

(c) under column (6), for Note 1, the following shall be substituted, namely :-

"Note 1: Relaxable for Government Servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.";

(d) under column (6), for Note 2, the following shall be substituted, namely :-

" Note 2 : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.";

(e) under column (7), for words, figures and letters "Transcription : 40 w.p.m. on computer", the words and figures "Transcription : 50 minutes on computer" shall be substituted;

(iii) against the post at serial number 22, -

(a) under column (6), for the words and figures "Between 18 and 25 years of age", the words and figures "Between 18 and 27 years of age" shall be substituted.

(b) in column (6), for Note 1, the following shall be substituted, namely :-

"Note 1 : Relaxable for Government Servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.";

(c) in column (6), for Note 2, the following shall be substituted, namely :-

"Note 2 : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission."

[F. No. A-12018/02/2017-Ad.IV-MCA]

ANITA SHAH AKELLA, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.41(E), dated the 21st January, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.05.08 12:14:51 +05'30'